नई शिक्षा नीति (NEP-2020) में महिलाओं की परिकल्पना

डॉ0 अंजलि उपाध्याय
असिस्टेंट प्रोफेसर
दयानन्द आर्या कन्या डिग्री कॉलेज
मुरादाबाद (उ0प्र0)

शिवानी त्यागी
शोध छात्रा
दयानन्द आर्या कन्या डिग्री कॉलेज,
मुरादाबाद (उ0प्र0)
ईमेल–shivani.deepak85@gmail.com

सारांशिका

किसी भी देश की उन्नति वहाँ की शिक्षा नीति पर निर्भर करती है। कितनी प्रभावी किसी देश की शिक्षा नीति होगी वह देश उतना ही अधिक प्रगतिशील होगा। जिस प्रकार किसी परिवार की प्रगति उसे घर में रहने वाली महिलाओं पर निर्भर करती है। ठीक उसी प्रकार किसी देश का विकास भी उसे देश की महिलाओं के शिक्षा के स्तर पर निर्भर करता है। किसी देश की महिलाएँ जितनी अधिक शिक्षित होगी वह देश हर दिशा में उतना ही अधिक उन्नतशील होगा। नई शिक्षा नीति में महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने का पर्याप्त ध्यान रखा गया है। छात्राओं तथा महिलाओं की शिक्षा में आने वाली सभी बाधाओं को नई शिक्षा नीति में दूर करने का प्रयास किया गया है। नई शिक्षा नीति के बाद महिलाएँ हर क्षेत्र में प्रगति करेंगी तथा उनका चतुर्मुखी विकास होगा।
जुलाई 2020 में केंद्रीय सरकार द्वारा एक नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी। यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। यह शिक्षा नीति स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। इससे पहले 1968 तथा 1986 में शिक्षा नीतियाँ लागू की गई थी। हमारी शिक्षा नीति 1986 से चली आ रही है। 34 साल से हमारी शिक्षा नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। वास्तव में इसमें बदलाव की आवश्यकता थी।

प्रस्तावना

बदलते वैश्विक परिवेश में जन आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति करने तथा वैश्विक स्तर पर भारतीय शिक्षा व्यवस्था की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा नीति में परिवर्तन आवश्यक था। ऐसे में नई शिक्षा नीति 2020 बहुत महत्व रखती है। इसमें विद्यालय स्तर तक जिसमें प्राइमरी स्कूल, प्राथमिक स्कूल, माध्यमिक स्कूल तथा उच्च स्तर तक कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस शिक्षा नीति के द्वारा 2030 तक सभी के लिए समावेशी एवं समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यंत शिक्षा अवसरों को बढ़ावा देने का लक्ष्य है। यह 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है, जिसका लक्ष्य हमारे देश की आवश्यकताओं को पूरा करना है। यह नीति प्रत्येक व्यक्ति में नियत रचनात्मक क्षमताओं के विकास पर विशेष जोर देती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रस्ताव है कि प्राथमिक कक्षा के बच्चों को उनकी घरेलू स्थानीय भाषा में पढाया जाना चाहिए। यह नीति बहू भाषावाद को बढ़ावा देती है क्योंकि बहुभाषी शिक्षा छात्रों के शिक्षक और अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए छात्र की मातृभाषा या मूल भाषा का उपयोग करने पर जोर देती है।

NEP 2020 का लक्ष्य भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनना है। स्वतंत्रता के बाद से यह भारत के शिक्षा ढाचे में तीसरा बडा सुधार है पहले की दो शिक्षा नीतियों वर्ष 1968 और 1986 में लाई गई थी। नई शिक्षा नीति 2020 का मूल लक्ष्य और उद्देश्य वर्ष 2030 तक प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा को सार्वभौमिक रूप से सुलभ बनाना है यह विद्यार्थी और समग्र रूप से समाज के बीच संबंध बनाने में मदद करता है नई शिक्षा नीति छम्ब् 2020 का लक्ष्य वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात 100 प्रतिशत करना है। पांचवी कक्षा तक की शिक्षा मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध करवाना मातृभाषा को कक्षा 8 और उससे आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है।

अतः राष्ट्रीय एक शिक्षा नीति 2020 का केंद्र समग्र शिक्षा है। दूसरी ओर कठोर पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र, मूल्यांकन, परीक्षा की ओर और उसके लिए अधिगम और आकलन के योगात्मक तरीकों को अपनाना नई शिक्षा नीति 2020 का हिस्सा नहीं है क्योंकि यह छात्रों की खोज और सीखने की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के अंतर्गत 14 वर्ष तक की आयु के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा की अनिवार्यता पर अधिक बल दिया गया है जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत विभिन्न समूह के बीच असमानताओं को दूर करने पर अधिक बल दिया गया है।

स्त्री पुरुष के सह अस्तित्व से समाज का निर्माण होता है। इसलिए समाज निर्माण में दोनों का सहयोग और पारस्परिक संयम अत्यंत आवश्यक है। किसी भी समाज में स्त्री पुरुष में से किसी एक की प्रधानता और दूसरे की कम प्रधानता होने से सामान का संतुलन डगमगा जाता है और वह समाज विविध प्रकार की बुराइयों और अपराधों का शिकार बन जाता है। केवल किसी एक वर्ग की खुशी से समस्त समाज में सुख शांति कभी नहीं आ सकती। एक वर्ग में उपजा असंतोष उसे वर्ग को कुंठित कर देता है। यह कुंठा व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक स्तरों पर व्याप्त होने लगती है, जिसका प्रभाव अनेक पीढ़ियों तक पड़ता है। समाज में विसंगतियां बढ़ती जाती हैं जो अनेक बुराइयों के रूप में परिणत हो जाती हैं।

हमारे प्राचीन साहित्य से भारतीय समाज का जो चित्र उपस्थित होता है। उससे उस समय के समाज में स्त्रियों की स्थिति में विविधता दृष्टिगोचर होती है। प्राचीन समय में नारी को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी और ना ही आज की भांति वह आर्थिक रूप से स्वावलंबी थी। बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक वह परिवार के पुरुष सदस्यों के संरक्षण में रहती थी। इसका कारण स्त्री को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना था यह दृष्टि आज भी भारतीय समाज में है अधिकतर स्त्रियाँ लड़कियां आज भी कहीं आती जाती हैं तो साथ में घर का कोई ना कोई पुरुष सदस्य अवश्य होता है। अधिकतर लड़कियां या स्त्रियां धार्मिक कार्यों तथा विवाह आदि सामाजिक उत्सवों में उपस्थित होती थी। कन्याओं को काव्य कला नृत्य संगीत तथा अन्य अनेक प्रकार की शिक्षाएँ प्राप्त होती थी। वैदिक काल में शिक्षा प्राप्त अनेक ऋषिकाओं के नाम मिलते हैं यथा आपला विश्ववारा, लोपमुद्रा, घोष, आदि जिन्होंने ऋग्वेद की अनेक ऋचाओंका दर्शन किया। महाभारत काल में केवल पुत्रों की प्राप्ति से व्यक्ति पितृ ऋण से पूर्ण नहीं माना जाता था तथा कन्या होने पर ही घर पूर्ण होता था। हमारे देश में स्त्रियों का मुख्य उत्तरदायित्व घर संभालना तथा संतान का पालन पोषण करना माना जाता है। लिंग के आधार पर श्रम विभाजन अधिकतर भारतीय परिवारों में दृष्टिगत होता है। महिलाएँ घर में प्राय सभी कार्य करती हैं, जैसे खाना पकाना, कपड़े धोना, घर की सफाई, सिलाई, बुनाई, बच्चों की देखभाल आदि। धनार्जन का कार्य घर से बाहर के अधिकतर कार्य पुरुष करते हैं। ऐसा नहीं है की पुरुष घर के कार्य नहीं कर सकते हैं, किंतु पुरुष की मानसिकता यह होती है कि घर के कार्य का दायित्व महिलाओं का है। यद्यपि नौकरी के रूप में पुरुष भी सब कार्य करते हैं जो घर में महिलाओं के दायित्व के कार्य माने जाते हैं।

घर का आर्थिक बोझ उठाने तथा आय में वृद्धि के लिए पुरुष इन कार्यों को लग्न और जिम्मेदारी से करते हैं। छात्रावासों, होटल आदि में कुकिंग का काम अधिकतर पुरुष ही करते हैं। टेलरिंग का कार्य, सार्वजनिक स्थानों में सफाई आदि अनेक प्रकार के कार्य भी पुरुष बहुतायत से करते हैं। घर से बाहर का कार्य करने में स्त्रियां भी सक्षम है। शहरों में महिलाएं कार्यालय, स्कूल, कॉलेज, कारखाने आदि में भिन्न–भिन्न प्रकार के कार्य कर रही हैं जबकि गांव में पानी भरकर लाना, ईधन के लिए लकड़ी इकट्ठी करना, खेतों में काम करना आदि अनेक कार्य करती हैं।

लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने के बावजूद अब से 50–60 वर्ष पूर्व तक सार्वजनिक और राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका बहुत कम होती थी। नारी मुक्ति आंदोलन के चलते नए केवल भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व में नारी चेतना जागृत हुई। देश में स्वैच्छिक समाज कल्याण गतिविधियों का बढ़ावा देने के लिए 1953 में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड स्थापित किया गया। इसके द्वारा चलाए जा रहे प्रमुख कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रौढ महिलाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने तथा उसके प्रशिक्षण के लिए 1958 में महिलाओं के लिए पाठ्यक्रम शुरू किया गया। इसके अतिरिक्त 1972–73 में महिला कर्मचारियों के लिए हॉस्टल योजना शुरू की गई।

एक सभ्य समाज का निर्माण उस देश के शिक्षित नागरिकों दवारा होता है। और नारी इस कड़ी का अहम हिस्सा है। प्राचीन काल से ही नारी सृजनशीलता कलात्मक प्रवृत्तियां से नर की सृष्टि को पूर्णता प्रदान करने वाली रही है।

मनुस्मृति के अध्याय 3 के 56 वे श्लोक में कहा गया है–
यत्र नार्यस्तु पूज्यंते रमंते तत्र देवता
यत्रैवास्तु न पूजयन्ते सर्वसति त्रा फलाः क्रियाः।
यजुर्वेद में नारी को देवी के रूप में पूजा जाता था –
या देवी सर्वभूतेषु सर्वकार्येषु संपदा
या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता

किसी भी देश का नागरिक होने के नाते शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक स्त्री का मूल अधिकार है। जो देश की प्रगती, उन्नति व विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि हम वर्तमान स्थिति की चर्चा करें तो आज नारी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे निकल चुकी है। सभी क्षेत्रों में उसका पदार्पण है। आज नारी हर क्षेत्र में आगे आ गई है लेकिन यह स्थिति सभी वर्ग की महिलाओं पर लागू नहीं होती।

अभी भी ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्र, सामाजिक, आर्थिक एवं अल्पसंख्यक रूप से पिछड़ी महिलाओं को सशक्तिकरण की आवश्यकता है और सशक्तिकरण का सबसे अच्छा साधन शिक्षा है। नारी के लिए शिक्षा और भी अधिक आवश्यक है क्योंकि वह केवल स्वयं शिक्षित नहीं होती बल्कि अपने पूरे परिवार एवं बच्चों को भी शिक्षित करती है द्य चाहे घर हो या बाहर नारी शिक्षा के लिए हर समय प्रयास किए गए हैं, योजनाएं बनाई गई हैं और सफल भी हुई है उसके बावजूद भी महिलाएं जो हमारी कुल जनसंख्या का आधा हिस्सा मानी जाती है वह अभी भी अशिक्षित हैं।

स्त्री पुरुष संबंधी इस सामाजिक विषमता को दूर करने के लिए 1961 में दहेज निषेध अधिनियम बनाया गया द्य जिसके दवारा सरकारी कर्मचारियों दवारा दहेज के लेनदेन को कर्मचारी आचरण संहिता का उल्लंघन घोषित किया गया। दहेज की बढ़ती प्रवृत्ति और इसके कारण होने वाली हत्याओं को रोकने के लिए तथा 1961 के दहेज निषेध अधिनियम की कमियों को दूर करने के लिए 1983 में दहेज निरोध अधिनियम तथा भारतीय दंड संहिता में संशोधन किया गया और इसके लिए कड़े प्रावधान बनाकर कठोर दंड की व्यवस्था की गई ।

स्त्रियों की अन्य स्थिति में सुधार लाने के लिए समान मजदूरी अधिनियम 1976, फैक्ट्री अधिनियम 1976, प्रसूति लाभ अधिनियम, बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष आदि हैं। निराश्रित विधवाओं के लिए पेंशन योजना भी लागू की गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं एवं बच्चों के अनेक अधिकारों की रक्षा के लिए गठित है। सरकार और शासन में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ग्राम पंचायत और नगर पालिका में 33ः भागीदारी महिलाओं के लिए सुरक्षित है।

नई शिक्षा नीति 2020 मैं ऐसा क्या विशेष है जो नारी शिक्षा को बढ़ावा देती है जहां तक मैंने इस नीति को समझा है तो नई शिक्षा नीति ने उन समस्याओं की तरफ ध्यान दिया है जो बालिकाओं की शिक्षा के रास्ते में बाधा बनती हैं । अनेक स्तर पर इसमें बालिकाओं और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान रखे गए हैं। शिक्षा को शुरुआत होती है विद्यालय स्तर पर। इस नीति में दो चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है वह है विद्यालय में बालिकाओं की सुरक्षा तथा ऐसे प्रावधान और योजनाएं जो छात्रों को विद्यालय से जोडे रखते हैं और उन्हें अवसर देते हैं।

विद्यालय स्तर पर बालिकाओं के लिए नई शिक्षा नीति 2020 में प्रावधान–

1. बालिकाओं को छात्रावासों तक सुरक्षित और व्यावहारिक पहुंच प्रदान की जाएगी।
2. जहां विद्यालय अधिक दूरी पर हैं, ग्रामीण, पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र दूर दराज के इलाकों वहां निशुल्क छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए उपयुक्त व्यवस्था होगी।
3. कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो पहले से ही भारत सरका
1. जैसे कई प्रकार के भेदभाव उत्पीडन तथा उनके अधिकारों की सुरक्षा के खिलाफ किसी भी तरह के उल्लंघन पर कुशल तंज के साथ प्राथमिकता दी जाएगी।
2. बालिकाओं और ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए जेंडर समावेशी निधि का गठन करने की बात एक नया और क्रांतिकारी कदम है। यह जेंडर समावेशी कोष राज्यों के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा जिससे उनको ऐसी योजनाएं कार्यक्रम आदि को लागू करने में सहायता मिलेगी जिससे बालिकाओं को विद्यालय परिसर में अधिक सुरक्षा तथा पूर्ण स्वस्थ वातावरण मिल सके।

उच्चतर स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा के प्रावधान–

1. उच्चतर शिक्षण संस्थानों की प्रवेश प्रक्रिया में जेंडर संतुलन को बढ़ावा दिया जाएगा।
2. उच्चतर शिक्षण संस्थानों के सभी पहलुओं द्वारा संकाय सदस्यों परामर्शदाताओं और विद्यार्थियों को जेंडर पहचान के प्रति संवेदनशील और समावेशित किया जाएगा।
3. परिसर में भेदभाव और उत्पीड़न के लिए बने हुए नियमों को कठोरता से लागू किया जाए। यह सभी व्यवस्थाएं उच्चतर शिक्षा संस्थानों में महिला विद्यार्थियों के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करेंगी।
4. स्नातक पाठ्यक्रम में मल्टीप्ल एंट्री एड एग्जिट व्यवस्था को अपनाया गया है इसके तहत तीन या चार वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे और उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा जैसे 1 वर्ष के बाद प्रमाण पत्र 2 वर्षों के बाद एडवांस डिप्लोमा 3 वर्षों के बाद स्नातक की डिग्री तथा 4 वर्षों के बाद शोध के साथ स्नातक । इसके अतिरिक्त एक एकेडमिक क्रेडिट बैंक की भी स्थापना की जाने का प्रावधान है जो अलग–अलग मान्यता प्राप्त संस्थाओं से प्राप्त क्रेडिट को एकत्रित करेगा यह सुविधा सभी विद्यार्थियों के लिए हैं किंतु महिलाओं के लिए यह विशेष लाभकारी होगा क्योंकि विवाह, पारिवारिक कारण व अन्य कारण की वजह से उन्हें अपनी पढाई बीच में छोड़नी पड़ती है।

व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रम को मुख्य धारा की शिक्षा में एकत्रित करने का प्रावधान है जो कि प्राथमिक माध्यमिक कक्षाओं से होती हुई उच्चतर शिक्षा तक जाएगी जिससे प्रत्येक छात्र कम से कम एक व्यवसाय से जुड़े कौशल को सीख सकेंगे विशेष कर महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकेंगी। इस प्रकार बालिकाओं और महिलाओं की शिक्षा में भागीदारी बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने हेतु नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विस्तार से प्रावधान है। शिक्षा के सभी स्तरों में लिंग संतुलन सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह की महिलाओं की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शिक्षक परिसरों में महिलाओं की सुरक्षा आदि ।

निष्कर्ष–

एक अच्छी शैक्षणिक संस्था वह है, जिसमें प्रत्येक छात्र का स्वागत किया जाता है और उसकी देखभाल की जाती है । जहां एक सुरक्षित और प्रेरणादायक वातावरण मौजूद होता है और यह तभी संभव है जब वहां पर कोई लैंगिक भेदभाव ना हो और नई शिक्षा नीति में इसी बात पर जोर दिया गया है। नीति में परिकल्पित है कि हमारे संस्थाओं की पाठ्यचर्या और शिक्षण विधि छात्रों में अपने मौलिक दायित्वों और संवैधानिक मूल्य देश के साथ जुड़ाव और उत्तरदायित्वों की जागरूकता उत्पन्न करें साथ ही नवीन शिक्षा नीति में बालिकाओं और महिलाओं की शिक्षा में भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रावधान किए गए हैं। सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूह की व्याख्या करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उन्हें कई श्रेणियां में बांटा गया है इन श्रेणियां को लिंग, सामाजिक, सांस्कृतिक पहचान, भौगोलिक पहचान आदि के आधार पर वर्गीकृत किया गया है।

अतः नई शिक्षा नीति में महिलाओं के सर्वांगीण विकास के साथ–साथ अन्य वर्गों के भी सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखा गया है। अतः नई शिक्षा नीति शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम है आशा करते हैं कि है नई शिक्षा नीति 2020 हमारी आकांक्षाओं पर खरी उतरे। सफल और सही दिशा में इसका क्रियान्वयन हो । अधिक से अधिक बालिकाएं एवं महिलाएं शिक्षित हो सके और नारी सशक्तिकरण की दिशा में यह नीतियां मिल का पत्थर साबित हो।

संदर्भ सूची

1.राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
2.कोठारी आयोग की रिपोर्ट, 1986
3.https://www.newstrackive.com
4.https://ignited.in/l/a/305245
5.अनुस्मृति तीसरा अध्याय–56वां श्लोकर की योजना है उसे और अधिक मजबूत बनाया जाएगा। सामाजिक आर्थिक रूप से पिछडे समूह की बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वाले विद्यालयों में 12वीं स्तर तक किया जाएगा ताकि छात्राओं का नामांकन बढ़ सके।
4. सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित तथा अल्प प्रतिनिधित्व समूह में आधी संख्या महिलाओं एवं बालिकाओं की है द्य विशेष कर ऐसी महिलाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। इन छात्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित करके नई योजनाएँ बनाई जाएगी।
5. छात्रों की भागीदारी और सुरक्षा की वृद्धि से ऐसे उपाय किए जाएंगे कि वह विद्यालयों से जुड़ी रहे जैसे अधिक दूरी वाले विद्यालयों में छात्रों को साइकिल प्रदान की जाएगी ताकि गरीबी के कारण उन्हें स्कूल छोड़ना ना पड़े।
6. विद्यालयों में सकारात्मक वातावरण, भौतिक सुविधाएँ, स्वच्छता शौचालय आदि का विशेष ध्यान रखा जाएगा जहाँ विद्यालय सह शिक्षा वाले हैं वहां अलग शौचालय आदि अन्य बुनियादी सुविधाएं एवं सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा।
शिक्षा नीति 2020 में यह भी स्पष्ट लिखा गया है कि स्कूल में नामांकित सभी बच्चे विशेष कर बालिकाए द्वारा सामना किया जाने वाले गंभीर मुद्दों